न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 14/2013
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर हाल तहसील कालवाड जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. भगवानराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जागिड नि0 सिगोदडी तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।
2. दिनेश कुमार पुत्र मक्खनलाल नि0 5 न्यू कॉलोनी झोटवाडा जिला जयपुर।
3. अनिता कंवर पत्नी रघुराजसिंह शेखावत नि0 बी–68 श्रीरामनगर बी कालवाड रोड झोटवाडा जिला जयपुर।
4. सन्तोष कॅवर पत्नी श्याम सिंह राठौड नि0 13, न्यू कॉलोनी खातीपुरा जिला जयपुर।
5. रचना आर. होतवानी पत्नी रमेश के0 होतवानी नि0 डी–80 घीयामार्ग बनीपार्क जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 23.07.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

Court of Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर हाल तहसील कालवाड द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम माचवा तहसील जयपुर के ख0नं0 457/1028/1 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा जो सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि हैं। ग्राम माचवा के खसरा नम्बर 457/1028/2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा की भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–34 के अनुसार राजकीय खाते में गै0मु0 नदी दर्ज थी। जिसे कालान्तर में नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 14.05.1971 के द्वारा आवंटन गैर से खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त आराजी में नामान्तकरण संख्या 503 खातेदारी दी गई एवं नामान्तकरण संख्या 546, 1114, 1197, 1465 विक्रय पत्र के आधार पर भगवानराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 7/184, दिनेश कुमार पुत्र मक्खलाल हि0 8/184, अनिता कंवर पत्नी रघुराजसिंह शेखावत हि0 16/184, सन्तोष कंवर पत्नी श्याम सिंह राठौड, हि0 8/184, रचना आर. होतवानी पत्नी रमेश के. होतवानी हि0 66/1840 (1001 वर्गगज) नदी, नाले, तालाब, जलाश्य आदि की भूमियों जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत जिन पर खातेदारी अधिकार उद्‌भूत नहीं होते है।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से 2034, नामान्तकरण संख्या 352 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को पहले साधारण नोटिस जारी किये गये जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 की तामिल हो गई परन्तु शेष रेस्पो0 से किसी का कोई निश्चत पता नही मिला प्रार्थना पत्र देहिन्दा तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के नोटिस तामील के प्रयास करने चाहिए थे। जिसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 03 व 4 को

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय), जयपुर

रजि0 नोटिस भिजवाये गये जो एक माह तक लौटकर नही आये इस प्रकार बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम माचवा तहसील जयपुर के ख0नं0 457/1028/1 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा जो सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि हैं। ग्राम माचवा के खसरा नम्बर 457/1028/2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा की भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–34 के अनुसार राजकीय खाते में गै0मु0 नदी दर्ज थी। जिसे कालान्तर में नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 14.05.1971 के द्वारा आवंटन गैर से खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त आराजी में नामान्तकरण संख्या 503 खातेदारी दी गई एवं नामान्तकरण संख्या 546, 1114, 1197, 1465 विक्रय पत्र के आधार पर भगवानराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 7/184, दिनेश कुमार पुत्र मक्खलाल हि0 8/184, अनिता कंवर पत्नी रघुराजसिंह शेखावत हि0 16/184, सन्तोष कंवर पत्नी श्याम सिंह राठौड, हि0 8/184, रचना आर. होतवानी पत्नी रमेश के. होतवानी हि0 66/1840 (1001 वर्गगज) नदी, नाले, तालाब, जलाश्य आदि की भूमियों जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत जिन पर खातेदारी अधिकार उद्वभूत नहीं होते है।

अतः जिसके अनुसार उक्त भूमि वापस बन्दोवस्त अभिलेख के अनुसार राजस्व रिकार्ड में सरकारी अंकित होना अपेक्षित है। डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र ग्राम माचवा तहसील जयपुर के ख0नं0 457/1028/1 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा जो सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि हैं। ग्राम माचवा के खसरा नम्बर 457/1028/2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा की भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–34 के अनुसार राजकीय खाते में गै0मु0 नदी दर्ज थी। जिसे कालान्तर में नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 14.05.1971 के द्वारा आवंटन गैर से खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त आराजी में नामान्तकरण संख्या 503 खातेदारी दी गई एवं नामान्तकरण संख्या 546, 1114, 1197, 1465 विक्रय पत्र के आधार पर भगवानराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 7/184, दिनेश कुमार पुत्र मक्खलाल हि0 8/184, अनिता कंवर पत्नी रघुराजसिंह शेखावत हि0 16/184, सन्तोष कंवर पत्नी श्याम सिंह राठौड, हि0 8/184, रचना आर. होतवानी पत्नी रमेश के. होतवानी हि0 66/1840 (1001 वर्गगज) नदी, नाले, तालाब, जलाश्य आदि की भूमियों जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वंर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत जिन पर खातेदारी अधिकार उद्वभूत नहीं होते है। मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02/08/2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के क्रम में उक्त भूमि किस्म गै0मु0 तलाई आवंटन योग्य नही है तथा पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार जयपुर हाल तहसील कालवाड का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम माचवा के खसरा नम्बर 457/1028/2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै०मु० नदी भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज किये जाने हेतु पत्रावली मय निर्णय की तीन प्रमाणित प्रतियों के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृती हेतु भिजवाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 23.7.25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर